भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं.:ईसीआई/प्रे.नो/**84/2017** दिनांक : **03** नवम्बर, **2017**

प्रेस नोट

आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश निर्वाचन हेतु तैयारी की समीक्षा

हिमाचल प्रदेश में दिनांक **09** नवम्बर, **2017** को होने वाले मतदान के आलोक में आज भारत निर्वाचन आयोग में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के संचालन की तैयारी की समीक्षा करने के लिए श्री ए.के. जोति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ओ.पी.रावत, निर्वाचन आयुक्त और श्री सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त सहित पूर्ण आयोग के साथ एक वीडियो कांफ्रेस आयोजित की गई। इस वीडियो कांफ्रेस में मुख्य सचिवों, डीजीपी और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सहित हिमाचल प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्यों अर्थात् जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के आबकारी शुल्क और वाणिज्यिक कर से संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

वीडियो कांफ्रेस के दौरान आयोग ने विभिन्न विस्तृत विषयों यथा बोर्डर पर संयुक्त जांच, चेक पोस्ट पर मदिरा, नकदी, हथियार और समाज-विरोधी तत्व/अपराधियों की आवाजाही पर नज़र रखना, राज्यों के मध्य आसूचना साझा करने, प्रभावी संचार, ड्राई डे की घोषणा करने और हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पड़ोसी राज्यों में मतदान-पूर्व और मतदान दिवस संबंधी व्यवस्थाएं करने पर चर्चा की।

आयोग ने पदाधिकारियों को निदेश दिए हैं कि निर्वाचकों को प्रलोभित करने के लिए उनको वितरण हेतु अभिप्रेत मुफ्त उपहारों की संभावित अंतरराज्यीय गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जाए और बॉर्डर क्षेत्रों में ऐसी मदों के भंडारण को रोका जाए। आयोग ने मतदान वाले दिन अंतरराज्यीय बॉर्डर को सील करने के भी निदेश दिए हैं ताकि बाहर से मतदान पर पड़ने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव को रोका जा सके। आयोग ने आयकर (आईटी) विभाग द्वारा की गई जब्तियों तथा हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों की तैयारी की समीक्षा की। आयोग ने बॉर्डर जिलों की अंतर-राज्यीय बैठकें आयोजित करने के भी निदेश दिए ताकि आयोग के निदेशों का प्रभावी कार्यान्वयन और बेहतर समन्वय हो सके।

आयोग ने पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों को निदेश दिए कि वे हिमाचल प्रदेश के उन निर्वाचकों, जो पड़ोसी राज्यों के आसपास के क्षेत्रों में कार्य करते है, के लिए **09** नवम्बर, और **18** नवम्बर, को सेवतन अवकाश की घोषणा करें। उन्होंने यह निदेश भी दिए कि सीएपीएफ का प्रयोग विश्वास बहाली उपायों और मतदाताओं को आश्वस्त करने तथा उनमें भरोसा और आत्मविश्वास भरने के लिए किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि किसी भी प्रकार के हथियारों, ड्रग्स, मदिरा इत्यादि के अवैध पारवहन को रोकने के लिए अंतरराज्यीय 'नाके' शुरू किए जाएं और मतदान-पूर्व तथा मतदान वाले दिन हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर राज्यों के आसपास के क्षेत्रों में उचित निगरानी रखी जाए। राज्य में सर्च और जब्ती के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित प्रकार से हैं :

12.10.2017 से 2.11.2017 तक सभी प्राधिकरणों द्वारा जब्ती				
	पुलिस	**आबकारी**	**आईटी**	**कुल**
नकदी	**1.29** करोड़	**0**	**61.61** लाख रू.	**1.91** करोड़ रूपये
मदिरा (28.9.17 से 2.11.2017 तक)	**13510** लीटर	**1.77** लाख लीटर	**0**	**3.72** करोड़ रूपये
ड्रग्स	**12.86** करोड़ रूपये			
मुद्रित सामग्री	**28** बैग + **44211**	**0**	**0**	**28** बैग +**44211** पोस्टर

	पोस्टर			
सोने की मदें (कि.ग्रा.)	**2.988**	**0**	**0**	**2.988**

वीडियो कांफ्रेस के दौरान महानिदेशक (अन्वेषण), आयकर और प्रधान निदेशक (आईटी) ने आयोग को निर्वाचन के दौरान निर्वाचनगत हिमाचल प्रदेश और उसके बॉर्डर वाले राज्यों में आयकर विभाग द्वारा किए गए कार्य-कलापों के बारे में ब्रीफ किया और सूचित किया कि निर्वाचनगत राज्यों और उसके बॉर्डर वाले राज्यों में सभी एयरपोर्टों पर एयर इन्टेलजेंस यूनिट होंगी और एयरक्रॉफ्ट/हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कैश के सभी प्रकार के संचलन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य में तैनात साधारण, पुलिस और व्यय प्रेक्षकों के साथ भी एक वीडियो कांफ्रेस (वीसी) की। वीडियो कांफ्रेस के दौरान आयोग ने निर्वाचन के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर उनका फीड बैक लिया और प्रेक्षकों को आवश्यक अनुदेश दिए। वीडियो कांफ्रेस के दौरान जिन मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई वे थे -सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा, मतदाता सहायता बूथ, मतदाता गाइड, आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू करना, संवेदनशीलता मानचित्रण, पारवहन और संचार योजना तथा मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देना। सरकारी पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण तटस्थता बनाए रखने, वीवीपीएटी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता, बलों सहित मतदान स्टाफ को **100% ई-पेमेंट** सुनिश्चित करना, निजी वाहन स्वामियों को भाड़ा प्रभार और विक्रताओं को भुगतान, बलों का परिनियोजन, शिकायत निवारण तंत्र, मतदान दिवस पर प्रभावी अनुवीक्षण, ईवीएम स्ट्रॉग रूम पर व्यवस्था करना, मतगणना दिवस सम्बन्धी व्यवस्थाएं और आरओ नेट, समाधान, सुविधा, सुगम जैसी नई आईटी एप्लीकेशन।

(पवन दीवान)
अवर सचिव